

क्या नीतीश कुमार, लालू यादव का प्रस्ताव स्वीकार करेंगे, साल भर के लिए मु.मंत्री पद संभालेंगे

C
M
Y
K

लालू यादव की सोच है कि अगर नीतीश ने पाला बदला तो अतिरिक्त लाभ यह होगा कि केन्द्र में मोदी सरकार भी संकट में आ जाएगी

- **जैसा कि विदित ही है, दिल्ली में मोदी सरकार को जीवित रहने के लिए चंद्रबाबू नायडू व नीतीश कुमार का समर्थन अनिवार्य है।**
- **ऐसा माना जा रहा है कि जदयू व भाजपा का सपोर्ट बेस काफी सिकुड़ा है। हालांकि, एग्जिट पोल कुछ भी आकलन लगा रहे हों, दोनों पार्टीं गत चुनाव के मुकाबले काफी कमजोर होंगी, इस बार।**
- **एनडीए के लिए यह शुभ समाचार नहीं है।**
- **अतः एनडीए को यदि बहुमत नहीं मिल पाया तो लालू के नीतीश कुमार को दिए गए प्रस्ताव में काफी दम आ जाएगा।**

वे आरजेडी-कांग्रेस गठबंधन में शामिल हों और एक साल के लिए मुख्यमंत्री बनें। इसके बाद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश कुमार के बेटे को

उपमुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लालू यादव की गणना यह है कि अगर नीतीश कुमार पाला बदलते हैं तो इसका सीधा असर नरेन्द्र मोदी की केन्द्र सरकार पर पड़ेगा।

भाजपा ने पिछला लोकसभा चुनाव 240 सीटों के साथ जीता था, जबकि एग्जिट पोल्स ने उसके लिए 400 सीटों का अनुमान लगाया था, इसलिए अब भाजपा अपनी सरकार को बचाए रखने के लिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर निर्भर है।

भाजपा पिछले छह महीनों से बिहार चुनाव को सूक्ष्म स्तर पर नियंत्रित करने में लगी हुई है और हर हाल में सत्ता में लौटने की उम्मीद कर रही है।

लेकिन ज़मीनी स्तर पर लोगों का कहना है कि, भाजपा और जद (यू) दोनों के समर्थन आधार में बड़ी गिरावट आई है। यह सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए बुरी खबर है, भले ही एग्जिट पोल्स एक चमकीली तस्वीर पेश कर रहे हों। इतिहास बताता है कि बिहार के मामले में एग्जिट पोल्स शायद ही कभी सही साबित हुए हों।

नई भर्ती में 2021 के अभ्यर्थियों को आयु में छूट नहीं

जयपुर, 13 नवंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पेपर लीक से प्रभावित एसआई भर्ती-2021 में शामिल रहे अभ्यर्थियों को साल 2025 की भर्ती में आयु सीमा में छूट देने के संबंध में एकल पीठ की ओर से दिए आदेश की क्रियावृत्ति पर रोक लगा दी है। अदालत

- **हाई कोर्ट की खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाई।**

ने माना कि एकलपीठ की ओर से अपने आदेश में की गई टिप्पणियां अनावश्यक थीं। एक्टिंग सीजे सजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस बीएस संधू की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए दिए।

अपील में महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि एकलपीठ के समक्ष केवल यह विचारणीय बिंदु था कि एसआई भर्ती-2021 में शामिल हुए अभ्यर्थियों को नई भर्ती में आयु सीमा (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार की जान ली

जयपुर, 13 नवम्बर। हरमाड़ा थाना इलाके के सीकर हाईवे पर गुरुवार को फिर एक तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार युवक की जान ले ली और दूसरे को गंभीर रूप से घायल कर दिया। हादसे के बाद डंपर चालक गाड़ी छोड़ मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में भिजवाया। वहीं, मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर

- **जयपुर-सीकर हाईवे पर बाइक को कुचलने के बाद चालक डंपर छोड़कर भाग गया।**

पोस्टमार्टम के लिए कांवरिया अस्पताल के मुर्दाघर में भिजवाया। दुर्घटना थाना वेस्ट में तैनात हेड कॉन्स्टेबल भरत सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश निवासी सोनू (30) अपने साथ गौरीशंकर (29) निवासी बरवाड़ा सामोद निवासी के साथ सोलार प्लांट लगाने का काम करता है। दोनों दोस्त गुरुवार सुबह साढ़े 10 बजे अपने किसी काम से सीकर हाईवे पर स्थित टोड़ी मोड़ तिराहे से होते हुए चैमू से जयपुर आ रहे थे। इसी दौरान टोड़ी मोड़ पर तेज रफ्तार डंपर ने पीछे से बाइक को जोरदार (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मोदी सरकार की लाल किले के पास हुए आतंकवादी विस्फोट पर प्रतिक्रिया कुछ ज्यादा संयमित नहीं थी?

द वायर के संपादक सिद्धार्थ वर्धराजन ने इस संयमित प्रतिक्रिया का कारण ट्रंप व अमेरिका की अपरिपक्व सोच बताया

- **शायद सरकार को आशंका थी कि यह कहना मुश्किल है कि ट्रंप इस विध्वंसकारी गतिविधि का कौन सा पहलू पकड़ कर अनर्गल बयानबाजी शुरू कर दें, जैसा ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ था।**

हमला होता है, तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा... “दूसरा, भारत किसी भी तरह के परमाणु ब्लैकमेल को बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत उन आतंकी ठिकानों पर सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा, जो परमाणु धमकियों की आड़ में विकसित हो रहे हैं... “तीसरा, हम आतंकवाद को पोषित करने वाली सरकार और आतंक के सूत्रधारों के बीच कोई फर्क नहीं “पहला, अगर भारत पर आतंकी

- **शायद सरकार को आशंका थी कि यह कहना मुश्किल है कि ट्रंप इस विध्वंसकारी गतिविधि का कौन सा पहलू पकड़ कर अनर्गल बयानबाजी शुरू कर दें, जैसा ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ था।**

करेंगे। “द वायर” के सम्पादक सिद्धार्थ वर्धराजन लिखते हैं, दिल्ली धमाके के बाद दिखाई गई इस संयमित प्रतिक्रिया का कारण शायद यह है कि घटना की पूरी तस्वीर अभी साफ़ नहीं है। हालाँकि यह सवाल भी उठता है कि अगर स्थिति इतनी अस्पष्ट थी तो प्रधानमंत्री ने पहले से इतना आक्रामक और अव्यावहारिक रुख क्यों अपनाया था। वे यह भी लिखते हैं कि यह इसलिए भी हो सकता है कि

- **इस संभावना से भाजपा नेतृत्व में भी मतभेद उभरने लगे हैं, पार्टी की चुनावी रणनीति को लेकर।**

- **साथ ही भाजपा व आरएसएस में भी इस विषय से खिंचाव पैदा हो रहा है कि क्या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं करने का निर्णय सही था।**

- **भाजपा के केन्द्रीय नेतृत्व ने पक्का मन बना लिया था कि नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहिए और भाजपा को बिहार में अपनी स्वतंत्र पहचान बनानी चाहिए।**

- **भाजपा के रणनीति विशेषज्ञ भी अब यह स्वीकार कर रहे हैं कि अगर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरती है और कांग्रेस का प्रदर्शन भी कुछ बेहतर होता है तो मोमेंटम तेजस्वी यादव के पक्ष में हो जाएगा, इसलिए आरजेडी बड़ा आक्रामक रुख अपना रही है और भाजपा को किसी भी तरह से राजनीतिक चालबाजी का मौका नहीं देना चाहती तथा जल्द से जल्द बहुमत प्रदर्शित करना चाहती है।**

पटना में भाजपा के एक शीर्ष पदाधिकारी ने स्वीकार किया कि नेतृत्व ने शायद नीतीश कुमार की निरंतर राजनीतिक प्रसंगिकता को कम करके आंका। उन्होंने कहा, “केन्द्रीय नेतृत्व बिहार में भाजपा की स्वतंत्र पहचान

स्थापित करने के लिए कटिबद्ध था।” लेकिन अब पीछे मुड़कर देखें तो नीतीश को अलग रखना महंगा साबित हो सकता है। उन्होंने यह भी इशारा किया कि अगर नतीजों के बाद संख्या बल की (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भाजपा ने जीत की खुशी में आयोजित होने वाले आयोजनों के लिए भारी मात्रा में लड्डुओं का ऑर्डर दिया है

- **-जाल खंबाता-**
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 13 नवम्बर। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले, जहाँ एक ओर आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है, वहीं, दूसरी ओर जश्न की तैयारियाँ भी जोरों पर हैं। भाजपा ने अपनी संभावित जीत के जश्न के लिए लड्डुओं का ऑर्डर दे दिया है।

पटना में माला बेचने वाले भी उम्मीद कर रहे हैं कि जीत चाहे किसी भी पक्ष की हो, उनका कारोबार तो अच्छा ही रहेगा।

मतगणना शुक्रवार, 14 नवंबर को सुबह 8 बजे शुरू होगी। अगर एग्जिट पोल सही साबित हुए और सत्तारूढ़ एनडीए (जेडीयू-भाजपा गठबंधन) की लहर चली, तो शुरुआती रज्जान जल्द ही

भारत ने लद्दाख में 1962 से बंद एयर बेस चालू किया

नयी दिल्ली, 13 नवम्बर। भारत ने पूर्वी लद्दाख में अपनी सैन्य तैयारियों को पुख्ता करते हुए चीन के साथ 1962 की लड़ाई के बाद से बंद पड़े सामरिक रूप से महत्वपूर्ण न्योमा एयर बेस को एक बार फिर से सक्रिय रूप से चालू कर दिया है।

वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ए पी सिंह ने बुधवार को खुद वहां जाकर

- **वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने सामारिक रूप से महत्वपूर्ण एयर बेस का उद्घाटन किया।**

इसका उद्घाटन किया। एयर चीफ मार्शल वायु सेना के भारी भरकम मालवाहक विमान सी-130 जे से वहां उतरे और एयर बेस का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उनके साथ वायु सेना की पश्चिमी कमान के प्रमुख भी थे। दुनिया के सबसे ऊंचे हवाई (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- **-अंजन राॅय-**
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 13 नवंबर। पड़ोसी देश बांग्लादेश फरवरी 2026 में आम चुनाव कराने जा रहा है। इसी के साथ एक “राष्ट्रीय चार्टर” पर जनमत संग्रह भी कराया जाएगा। फरवरी में चुनाव कराने की इस अचानक घोषणा से कई लोग हैरान हैं, क्योंकि इसके लिए तैयारी का समय बहुत कम बचा है। वर्तमान अंतरिम सरकार, जिसके मुखिया मुख्य सलाहकार मोहम्मद युनुस हैं, एक तरह से बांग्लादेश की राजनीति में इस्लामिक ताकतों के दबाव में झुकती दिख रही है, क्योंकि इन्हीं तत्वों ने जल्दी चुनाव कराने की मांग की थी, ताकि मुख्यधारा की राजनीतिक

पार्टियाँ अचंचे में पड़ जाएँ और तैयारी न कर सकें। भारत के दृष्टिकोण से बांग्लादेश में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनी गई सरकार का गठन स्वागत योग्य होगा, लेकिन अंतरिम सरकार के कुछ कदम, खासकर इस्लामिक और आतंकी संगठनों को फिर से बांग्लादेश में पैर जमाने की अनुमति देना, भारत के लिए गंभीर सुरक्षा चिंता का कारण बन रहे हैं। हाल की रिपोर्टों के अनुसार, पाकिस्तान के कुख्यात आतंकी मसूद अजहर का एक शीर्ष सहयोगी हाल ही में बांग्लादेश में था। उसने भारत-बांग्लादेश सीमा के कुछ हिस्सों का दौरा भी किया, संभवतः भारत के खिलाफ किसी गतिविधि की योजना के लिए।

- **जैसा कि विदित ही है, प्रमुख राजनीतिक पार्टीं अवामी लीग पर अभी भी प्रतिबंध लगा हुआ है तथा राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का मौका नहीं दिया गया है उन्हें।**
- **गत वर्ष विद्यार्थियों के एक आंदोलन में अवामी लीग की सरकार का तख्ता पलट कर नया भ्रष्टाचार युक्त सिस्टम स्थापित करने का संकल्प लिया था।**
- **अभी छात्र आंदोलन भी चुनाव करवाने के पक्ष में नहीं हैं व नया संविधान बनाना चाहते हैं, जिससे बहु जाति, बहु धर्म, बहु भाषा से सुसज्जित राष्ट्र बने बांग्लादेश।**
- **पर, किसकी चलेगी, राष्ट्रवादी छात्र आंदोलन की या इस्लामिक ताकतों की, जो पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों से सहयोग करना चाहती है, इस्लामिक एकता के नाम पर।**

ऐसी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान भी बांग्लादेश में अपने भारत-विरोधी षड्यंत्रों के लिए फिर से प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।

वर्तमान सत्तारूढ़ तत्व कट्टर

भारत-विरोधी हैं और उन्होंने पाकिस्तान और उसके आतंकी संगठनों को बांग्लादेश में अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद दी है।

इन घटनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए

पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी ने मांग की है कि बांग्लादेश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तभी संभव हैं, जब अवामी लीग पर लगा प्रतिबंध हटाया जाए। अवामी लीग, जिसने देश की

आजादी के बाद अधिकांश समय शासन किया, को सरकार के खिलाफ सफल जनविद्रोह के बाद प्रतिबंधित कर दिया गया था।

पिछले वर्ष हुए छात्र आंदोलन ने अवामी लीग सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया और प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। शेख हसीना भारत में शरण लेकर अब यहीं रह रही हैं। बांग्लादेश सरकार ने भारत से उन्हें सीपने की मांग की है, ताकि उनके विरुद्ध चल रहे मुकदमे की सुनवाई आगे बढ़ाई जा सके।

बांग्लादेश में छात्र आंदोलन और व्यापक हिंसा के बाद, आंदोलनकारी छात्र नेताओं और अन्य समूहों ने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पुणे में 25 गाड़ियां टकराईं, 9 की मौत

पुणे, 13 नवम्बर। पुणे के बाहरी इलाके में नवले ब्रिज के पास गुरुवार शाम एक ट्रक का ब्रेक फेल होने से 20 से 25 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। ट्रक सबसे पहले एक कार से टकराया। कार आगे जा रहे कंटेनर से भिड़ गई और

- **ब्रेक फेल होने से ट्रक कार से टकराया, जो कंटेनर से टकराई और आग लग गई, फिर और गाड़ियां टकराती गईं।**

उसमें आग लग गई। ट्रक भी जल गया। हादसे में कार सवार 5 लोग जिंदा जल गए। ट्रक ड्राइवर समेत 9 लोगों की मौत हो गई। हादसे में करीब 20 लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक हादसा पुणे-नासिक हाईवे पर धौरावांव के पास हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह से कंटेनर और ट्रक के बीच दब (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विचार बिन्दु

ज्ञानी जन विवेक से सीखते हैं, साधारण मनुष्य अनुभव से, अज्ञानी पुरुष आवश्यकता से और पशु स्वभाव से। –कौटिल्य

ईज ऑफ जस्टिस के बिना अधूरी है, ईज ऑफ डूईंग तथा ईज ऑफ लिविंग की परिकल्पना

दिनांक 8-9 नवम्बर, 2025 को दिल्ली में नालसा (नेशनल लिगल सर्विसेज ऑथोरिटी) द्वारा राष्ट्रीय अधिवेशन सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली की प्रिमीसेज में आयोजित किया जाता था। चर्चा का विषय था ‘कानूनी सहायता वितरण तंत्र को सशक्त बनायें’। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। अपने उद्घाटन भाषण में मोदी ने कहा, ‘कानूनी सहायता वितरण तंत्र की दृढ़ता तथा कानूनी प्रक्रिया से सम्बन्धित यह कार्य प्रणाली न्यायिक व्यवस्था को शक्तिशाली धरातल देगा अतः आयोजन के हेतु आप सबको बधाई देता हूँ। साथ ही मोदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ईज ऑफ जस्टिस के बिना ईज ऑफ डूईंग और ईज ऑफ लिविंग तभी संभव है जब ईज ऑफ जस्टिस अर्थात् न्याय आसानी से अन्तिम व्यक्ति तक पहुँच सके। मोदी ने ईज ऑफ जस्टिस पर यह भी घोषित किया कि कानून की भाषा सरल सुगम होनी चाहिये ताकि न्याय प्राप्त करने वाला व्यक्ति इसे समझ सके।

राष्ट्रीय अधिवेशन में जस्टिस सूर्यकान्त की उपस्थिति बहुत ही प्रभावशाली थी। अपने Valedictory भाषण में उन्होंने ईज ऑफ जस्टिस की बहुत सुन्दर व्याख्या की। जस्टिस सूर्यकान्त नालसा के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। उनका कहना है कि नालसा ने न्याय की चाह को देश के कोने-कोने तक पहुँचाया है। वहाँ तक पहुँचाया है जहाँ वे लोग हैं, जो देश की निगाहों में खो चुके थे, जिनकी आवाज अनसुनी थी।

राष्ट्रीय अधिवेशन दो दिन का था। कई विषयों पर चर्चायें इन दो दिनों में की गईं। जस्टिस सूर्यकान्त ने ऑपनिंग सेशन में “Institutional Defence for Inclusive Justice” विषय पर चर्चा प्रारम्भ करते हुये नालसा की भूमिका को सराहा। उन्होंने पेनल लॉयर्स (PLVS) द्वारा कानूनी सहायता दिये जाने को अभूतपूर्व कर्म की संज्ञा दी।

जस्टिस सूर्यकान्त के अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और जस्टिस विक्रमनाथ का भाषण भी बहुत प्रभावशाली व ज्ञानवर्धक था। ईज ऑफ जस्टिस की भूमिका का विस्तार से उन्होंने विवेचन किया था उनका कहना था न्याय के दरवाजे सबके लिये खुले हैं, यहाँ धर्म जाति आदि के भेदभाव का कोई बंधन नहीं है। भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई ने जो नालसा के Patron-in-Chief हैं, ने उन न्यायायिक अधिकारियों को जो डेपुटेशन पर भेजे जाते हैं, आह्वान करते हुये कहा कि न्याय आसान हो, तब ही सम्भव है, जब वह संवेदनशील और मानवीय होकर न्याय चाहने वालों तक सुगम व त्वरित गति से पहुँचाया जा सके।

न्याय केवल वह न्याय नहीं है जो विवाद होने पर दो पक्षों में के मध्य न्यायालय करता है। संविधान के प्रियम्बल में तीन प्रकार के न्याय की बात कही गई है सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। इसे क्रमशः हम देखें तो पायेंगे कि सामाजिक न्याय की

राष्ट्रीय अधिवेशन में, जिसका उल्लेख ऊपर किया है देश के प्रधानमंत्री और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है कि न्याय की भाषा वही हो जो न्याय पाने वाले को समझ में आये। संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई भाषायें ही भारत की भाषायें हैं इनमें विदेशी भाषा अंग्रेजी का कोई स्थान नहीं है। फिर अंग्रेजी अभी तक क्यों?

राज्य देश में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, या जन्म स्थान लिंग के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है।

न्याय आसान तभी होगा जब न्याय सभी को मिले, जिसे नागरिक अपनी भाषा में समझे। जीवन को आसान बनाने के हेतु न्याय में सुगमता और पहुँच तथा त्वरित जरूरी है।

मोदी जी ने सही कहा है कि न्याय में सुगमता सुनिश्चित हो, न्याय सभी के लिये हो, समय पर मिले, हर व्यक्ति तक पहुँचे वह भी सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से बिना भेदभाव किया। न्याय प्रत्येक पीडित व्यक्ति को उसकी अपनी भाषा में मिले।

हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट की भाषा अंग्रेजी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जहाँ 7 माननीय जज एक बात कहते हैं तो 6 न्यायाधीश दूसरी बात। जब इस पहेली का निर्णय बड़े-2 न्यायाधीश भी नहीं कर पाये हैं तो एक बिना लिखा व्यक्ति क्या उस निर्णय को समझ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की पीठ के कई निर्णय हैं जहाँ वे आपस में सहमत नहीं है, फिर गरीब के पास साधन कहाँ है कि जीवन भर मुकदमा लड़ता रहे? वह तो भूखा ही कोर्ट गया था भूखा ही मर जायेगा।

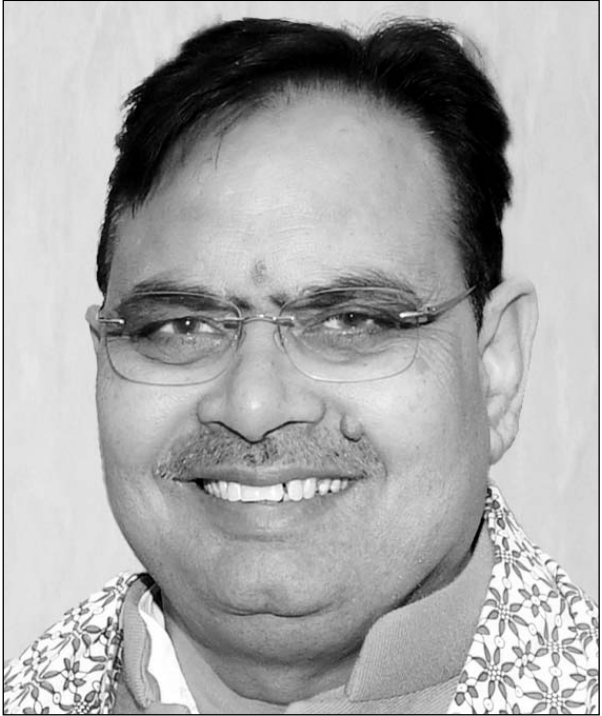
वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट ने 80000 से ज्यादा निर्णयों का 18 भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराया है। यह एक सराहनीय कदम है। पुराने सैकड़ों कानूनों को समाप्त किया है नये युग के हेतु नये कानून बनाये हैं। 1949 में जब आजादी के बाद राजस्थान राज्य बना, उस समय राजस्थान हाईकोर्ट की भाषा हिन्दी थी (देखिये राजस्थान हाईकोर्ट ऑर्डिनेन्स, 1949)। आज भी देश के हाईकोर्ट्स व सुप्रीम कोर्ट की भाषा अंग्रेजी ही है। हाँ राजस्थान में 1987 के बाद से हिन्दी में कुछ नगण्य निर्णय हुये हैं। किन्तु सुप्रीम कोर्ट की भाषा अंग्रेजी है। अनुच्छेद 348 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट्स में प्रयोग की जाने वाली अंग्रेजी भाषा रखी गई है किन्तु यह प्रतिषेध स्थायी नहीं है, संसद कानून बनाकर हिन्दी को उसका स्थान दे सकती है। हिन्दी राज्य भाषा है, इसमें कोई शंका नहीं है। (पडिये अनुच्छेद 343)।

उपरोक्त राष्ट्रीय सम्मेलन ने सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश और नये होने वाले मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों ने तथा पी एम मोदी ने एक स्वर में कहा है कि न्याय आसान हो वह तभी हो सकता है जब न्याय प्रत्येक व्यक्ति अपनी भाषा में समझे। फिर समझ से परे है कोर्ट्स की भाषा अंग्रेजी क्यों है, क्यों नई संसद इस हेतु कानून बना दे? संविधान के अनुच्छेद 120 में संसद की भाषा हिन्दी 26 जनवरी 1965 के बाद हो चुकी है तो फिर विलम्ब क्यों? राष्ट्रीय अधिवेशन में, जिसका उल्लेख ऊपर किया है देश के प्रधानमंत्री और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है कि न्याय की भाषा वही हो जो न्याय पाने वाले को समझ में आये। संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई भाषायें ही भारत की भाषायें हैं इनमें विदेशी भाषा अंग्रेजी का कोई स्थान नहीं है। फिर अंग्रेजी अभी तक क्यों? लेखक के कहने का यह अभिप्राय नहीं है कि अंग्रेजी के प्रयोग को तत्काल समाप्त कर दिया जावे। हाँ, इसका प्रयोग प्रारम्भ कर दिया जावे और 15 वर्ष की अवधि के बाद सुप्रीम कोर्ट का कार्य पूर्ण रूप से हिन्दी में स्वतः हो।

सत्यमेव जयते!

-अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द जैन,
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

भजनलाल शर्मा



भारत का स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आदिवासी समाज ने अपने साहस, स्वाभिमान और अस्म्य इच्छाशक्ति से अंग्रेज साम्राज्य की नींव हिला दी। इनमें भगवान बिरसा मुंडा का नाम सर्वोपरि है। बिरसा मुंडा ने अपने अल्प जीवन में ही आदिवासी चेतना, स्वतंत्रता और संस्कृति की मशाल जलाकर एक अमर अध्याय रचा।

झारखंड के खूंटी जिले के उलिहातु गांव में 15 नवंबर 1875 को जन्मे बिरसा मुंडा ने यह दिखा दिया कि आयु

नहीं, उद्देश्य की गहराई ही इतिहास रचती है। मात्र 25 वर्ष की आयु में वे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक विराट आंदोलन के जनक बने। उन्होंने आदिवासी समाज को 'उलगुलान' अर्थात महान जनविद्रोह के लिए संगठित किया। यह केवल अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ नहीं, बल्कि जल, जंगल और जमीन के अधिकारों की पुनः प्राप्ति का आंदोलन था।

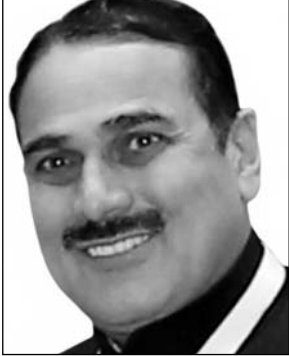
बिरसा मुंडा का उदघोष अबुआ दिशुम, अबुआ राजअर्थात हमारा देश, हमारा राज आदिवासी अस्मिता की पहचान बन गया। उन्होंने अंग्रेजों के आदिवासियों की पारंपरिक खूंटकटी व्यवस्था समाप्त करने के भूमि कानूनों को चुनौती दी। आदिवासियों की भूमि बाहरी जमींदारों और महाजनों के कब्जे में चली गई थी। बिरसा ने इस अन्याय के विरुद्ध स्वराज का शंखनाद किया।

उनका संघर्ष केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण का प्रतीक भी था। उन्होंने 1895 में एकेश्वरवाद पर आधारित बिरसाइट धर्म की स्थापना की। उन्होंने अपने अनुयायियों को अंधविश्वास, शराब, जादू-टोना और पशु बलि जैसी कुरीतियों से मुक्त होकर सत्य, संयम और सेवा का मार्ग अपनाने का संदेश दिया। उनका संदेश था कि ईश्वर हर मनुष्य में विद्यमान है, सच्ची पूजा सेवा में है। उन्होंने औषधीय जड़ी-बूटियों से लोगों का उपचार किया। उन्हें आत्मनिर्भरता सिखाई और आत्मसम्मान की भावना जगाई। उनके विचारों ने आदिवासी समाज को यह विश्वास दिया कि वे स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। ब्रिटिश सरकार ने 3 फरवरी 1900 को गिरफ्तार कर उन्हें रांची जेल में बंद कर दिया। मात्र 25 वर्ष की आयु में 9 जून 1900 को उनकी रहस्यमय मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद भी आंदोलन की लहर नहीं थमी। उनकी स्मृति में छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट, 1908 लागू हुआ। आदिवासियों की भूमि की रक्षा के लिए यह ऐतिहासिक कानून सिद्ध हुआ।

बिरसा मुंडा की रांची के कोकर में स्थित समाधि पर हजारों लोग हर वर्ष उन्हें नमन करते हैं। उनकी तस्वीर संसद भवन में स्थापित है और उनके जन्मदिन 15

औपनिवेशिक शोषण के विरोध व आदिवासी पहचान के प्रतीक बिरसा मुंडा को पीएम मोदी की सच्ची श्रद्धांजलि

राजस्थान सहित देशभर में धरती आबा अभियान से जनजाति वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा, राजस्थान देश में नम्बर-1



कुंजीलाल मीणा, आईईएस

15 नवम्बर को जब हम जनजातीय गौरव दिवस मना रहे हैं, महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक भगवान बिरसा मुंडा को याद करना न केवल हमारा कर्तव्य है बल्कि यह हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक भी है। “धरती आबा” यानी धरती के पिता के नाम से प्रसिद्ध बिरसा मुंडा ने मात्र 25 वर्ष की अल्पायु में राष्ट्र और जनजाति समुदाय के लिए जो कार्य किए, वे सदियों तक प्रेरणा देते रहेंगे।

भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर, 1875 को झारखंड के उलिहातु गाँव में हुआ था। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही आदिवासी समाज पर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और ईसाई मिशनरियों के बढ़ते प्रभाव को महसूस किया। बिरसा मुंडा का जीवन ब्रिटिश उपनिवेशवाद, साहूकारों के शोषण और जमींदारी प्रथा के क्रूर गठजोड़ के खिलाफ एक अटूट संघर्ष था। उन्होंने देखा कि किस तरह उनकी मजबूर किया जा रहा है। 19वीं शताब्दी के अंत तक ब्रिटिश शासन ने अपने क्रूर वन कानून (जैसे भारतीय वन अधिनियम 1865 और 1878) के माध्यम से आदिवासियों को उनकी पारंपरिक वन भूमि से वंचित कर दिया। उन्होंने जंगलों को व्यावसायिक लाभ के लिए अराक्षित वन घोषित कर दिया जिससे आदिवासियों को लकड़ी

काटने, मवेशी चराने, वनोत्पाद इकट्ठा करने या पारंपरिक शिकार करने से रोक दिया गया। इससे आदिवासियों की आजीविका और उनकी प्राचीन जीवनशैली पर सीधा हमला हुआ। बिरसा मुंडा ने इस शोषणकारी नीति और पर्यावरणीय विनाश के खिलाफ पुरजोर आवाज उठाई। उनका मानना था कि भूमि, जल और जंगल पर आदिवासियों का सामूहिक अधिकार है और इन संसाधनों का उपयोग केवल सतत और न्यायपूर्ण तरीके से ही किया जाना चाहिए, न कि अनियंत्रित दोहन के लिए।

इस शोषण के विरुद्ध उन्होंने उलगुलान (महान विद्रोह) आन्दोलन का आह्वान किया। यह केवल भूमि के लिए विद्रोह नहीं था, जल, जंगल और जमीन पर आदिवासियों के पैतृक अधिकार, उनकी संस्कृति और उनकी पहचान को बचाने की लड़ाई थी। बिरसा ने आदिवासियों को एकजुट किया, उनके बीच व्यापक जाति और उपजाति के भेदों को मिटाया और उन्हें यह एहसास दिलाया कि वे भी सम्मान और अधिकारों के पात्र हैं। उन्होंने अपने लोगों को यह सिखाया कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना और अपनी गरिमा के लिए लड़ना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। उन्होंने आदिवासियों को उनकी पारंपरिक न्यायिक प्रणाली, जैसे पड़ा पंचायत और मानकी-मुंडा व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए प्रेरित किया ताकि वे अपने विवादों का निपटारा स्वयं कर सकें और बाहरी अदालतों पर निर्भर न रहें। उनका अबुआ राज (अपना राज) का विचार केवल ब्रिटिश शासन से राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं था, बल्कि एक ऐसे समाज को कल्पना थी जहाँ सभी को समान अधिकार मिलें, जहाँ किसी भी प्रकार का शोषण न हो और जहाँ हर व्यक्ति गरिमापूर्ण जीवन जी सके।

बिरसा मुंडा ने अपने अनुयायियों को संगठित किया, उन्हें शस्त्रों के बजाय आत्म-विव्वास और सैन्यनिष्ठा का बल दिया। 1897-1900 का बिरसा आंदोलन ब्रिटिश दमनकारी नीतियों एवं सामाजिक

अन्याय के खिलाफ एक प्रत्यक्ष और सशक्त चुनौती थी, जिसमें आदिवासियों ने अपने अधिकारों के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित विरोध किया। जनवरी, 1900 में डोमरी पहाड़ी पर जन सभा को संबोधित करते वक़्त अंग्रेज सेना के साथ बिरसा मुंडा का टकराव हुआ एवं फरवरी में चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल से अंडोजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने कैद कर रांची कारागार में रखा, जहाँ अंडोजों द्वारा इस आदिवासी महानायक को कई कठोर याजनएँ देते हुए अन्ततः कारागार में बिरसा मुंडा जी की रहस्यमी परिस्थितियों में 9 जून, 1900 को मृत्यु हो गई।

बिरसा मुंडा केवल एक महान योद्धा ही नहीं थे, अपितु एक दूरदर्शी समाज सुधारक भी थे। उन्होंने देखा कि जनजाति समुदाय में असांगठन, अशिक्षा, आर्थिक तंगी का गलत लाभ उठाते हुए ईसाई मिशनरियों द्वारा भोले-भाले आदिवासियों का धर्मान्तरण किया जा रहा है एवं आदिवासियों को उनकी गौरवशाली प्राचीन परम्पराओं से विमुख किया जा रहा है। बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को उनके धर्म एवं परम्पराओं से जोड़ने के लिए कमर कसी एवं लगभग 1894-95 के आसपास बिरसा ने एक आध्यात्मिक और सामाजिक-धार्मिक आंदोलन की शुरुआत की, जिसे बिरसाइत पंथ के नाम से जाना जाता है।

यह पंथ मूल मुंडा परंपराओं और एकेश्वरवाद के एक अनूठ संगम था, जिसमें केवल सिंभबोंगा (भूप देवता) की पूजा पर जोर दिया गया और जनजाति समुदाय में साफ-सफाई, शुद्धता तथा नैतिकता को जीवन का कल्पना थी जहाँ सभी को समान अधिकार मिलें। बिरसा मुंडा की शहादत के वर्षों बाद भी, उनका संदेश आज भी गुँजता है। उनके संघर्ष ने

नवंबर को भारत सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाना आरंभ किया है। यह केवल उन्हें श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि भारत के प्रत्येक आदिवासी वीर को सम्मान देने का प्रतीक है।

राजस्थान की जनजातीय चेतना : गोविन्द गुरु का आंदोलन बिरसा मुंडा के समानांतर, राजस्थान की भूमि पर भी गोविन्द गुरु के नेतृत्व में एक ऐसी ही तेजस्वी क्रांति हुई और वे बांसवाड़ा-डूंगरपुर क्षेत्र में जनजातीय समाज के पथप्रदर्शक बने। उन्होंने भील, गरasia और अन्य जनजातियों में व्याप्त अंधविश्वास, मद्यपान और शोषण के खिलाफ आंदोलन चलाया। गोविन्द गुरु ने भगत आंदोलन के माध्यम से आदिवासियों को अपनी भूमि, जल और जंगल की रक्षा स्वयं करने का संदेश दिया। उन्होंने सत्य, संयम और एकता को जीवन का आधार बनाया। उनका आंदोलन धीरे-धीरे सामाजिक सुधार से बढ़कर स्वतंत्रता संग्राम का रूप ले गया।

गोविन्द गुरु के नेतृत्व में मानगढ़ पहाड़ी पर 17 नवंबर 1913 को हजारों भील पुरुष, महिलाएं और बच्चे स्वतंत्रता के लिए एकत्र हुए। अंग्रेज सेना ने इस शांतिपूर्ण सभा पर गोलियां चला दीं और सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घायल हुए। यह घटना राजस्थान का जलियांवाला बाग कहलाती है। गोविन्द गुरु को आजीवन कारावास दिया गया, लेकिन उनकी चेतना ने आदिवासी समाज को सदा के लिए जागृत कर दिया।

राजस्थान के मोती भाई, कालूजी, नाथू जी और जोगिया भील सहित अन्य भील नेताओं ने भी स्थानीय स्तर पर अंग्रेजी शासन को चुनौती दी। यह संघर्ष किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं,

बल्कि आत्मसम्मान और न्याय की पुकार था। आज भी मानगढ़ पहाड़ी जनजातीय शौर्य और बलिदान का पवित्र तीर्थ है।

आज जब भारत विकास के नए अध्याय लिख रहा है, बिरसा मुंडा के विचार पहले से अधिक प्रासंगिक हो उठे हैं। उनका संदेश प्रकृति के साथ सामंजस्य, संस्कृति के प्रति सम्मान और समाज के प्रति संवेदना और सतत विकास की असली नींव का था।

भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान, धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान और जनजातीय दर्पण जैसे अनेक कार्यक्रम आरंभ किए हैं। यह सभी कार्यक्रम बिरसा मुंडा की प्रेरणा से ही जनजातीय समाज के सशक्तिकरण की दिशा में अग्रसर हैं।

भगवान बिरसा मुंडा और गोविन्द गुरु जैसे जननायक केवल इतिहास के अध्याय नहीं, बल्कि भारत की आत्मा के जीवंत प्रतीक हैं। उन्होंने यह सिखाया कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक अधिकार नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, संस्कृति और न्याय की चेतना है। उनके संघर्ष ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत की आजादी की जड़ें गाँवों, वनों और पर्वतों की मिट्टी में भी गहराई से धँसी हुई हैं। बिरसा मुंडा को 150वीं जयंती पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम उनकी उस लौ को सदैव प्रज्वलित रखें जो जल, जंगल और जमीन की रक्षा के साथ मानवता, समानता और स्वराज की राह दिखाती है। भगवान बिरसा मुंडा केवल धरती आबा नहीं, बल्कि भारत की आत्मा के अमर दीप हैं।

-भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री, राजस्थान

और जनजाति वर्ग के अधिकारों की अक्षरशः पालना, उनके कल्याण और उत्थान के लिए देशभर में संचालित धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीपीजेजीए) मामले में राजस्थान देश में नम्बर 1 पर है।

धरती आबा अभियान का मकसद अपने अधिकारों और सरकारी योजनाओं के प्रति जनजातीय समुदायों तक जागरूकता और पहुँच बढ़ाकर उनका सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है। धरती आबा और पीएम-जनमन-केन्द्र सरकार की बेहद उच्च प्राथमिकता वाले अभियान/योजनाओं में शामिल हैं, जिनकी प्रगति की मॉनिटरिंग करने तथा आवश्यकता वाले क्षेत्र में नवाचार के लिए बहुत उच्च स्तरीय रिसट्रम कार्यरत है। इस अभियान में देश के 549 जिलों के 63,000 से अधिक जनजातीय बहुल गांव कवर किए गए हैं। राष्ट्रव्यापी जागरूकता और लाभ संतुष्टि अभियान के रूप में संचालित इस अभियान में 207 जिलों की 29,000 से अधिक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीबीटीजी) बस्तिनयें शामिल हैं।

मिशन के उद्देश्यों में व्यक्तिगत अधिकारों, हकों और प्रमुख सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना, दस्तावेजों और लाभों की घर-घर डिलीवरी सुनिश्चित करना, सामुदायिक लाभबंदी के माध्यम से सहभागी शासन को बढ़ावा देना शामिल है। राष्ट्रव्यापी जनजातीय युवाओं को डिजिटल योद्धा और जमीनी स्तर पर परिवर्तन लाने वाले के रूप में सशक्त बनाना, गांव और बस्ती स्तर पर एससीडी स्क्रीनिंग, जागरूकता और परामर्श भी मिशन की प्रमुख गतिविधियों में शामिल रहा। इस प्रकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिरसा मुंडा के जन्म के 150 साल बाद उनकी विरासत को, उनके स्वप्न, उनकी आंखोंवाला आंदोलन चेतना से एकाकार कर उनके सच्चे अनुयायी की भूमिका अदा की है।

कुंजीलाल मीणा, आईईएस, अतिरिक्त मुख्य सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान



राशिफल

शुक्रवार 14 नवम्बर, 2025

मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष, दशमी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत् 2082, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र राशि 9:21 तक, वैश्विती योग शनिवार प्रातः 6:26 तक, वज्रिण करण दिन 12:12 तक, चन्द्रमा आज रात्रि 3:51 से कन्या राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-तुला, चन्द्रमा-सिंह, मंगल-वृश्चिक, बुध-वृश्चिक, गुरु-कर्क, शुक-तुला, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज सर्वार्थ सिद्धि योग सूर्योदय से रात्रि 9:21 तक है। भद्रा दिन 12:12 से रात्रि 12:50 तक रहेगी। बुध आज पश्चिम में दिन 1:28 पर होगा। आज वैश्विती पुण्य, भगवान महावीर तप, कल्याणक दिवस है। आज जवाहरलाल नेहरू जयन्ती और बाल दिवस है।

श्रेष्ठ चौघडिया: चर सूर्योदय से 8:10 तक, लाभ-अमृत 8:10 से 10:51 तक, शुभ 12:11 से 1:32 तक, चर 4:12 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 6:50, सूर्यास्त 5:33 तक

**मेघ**

परिजनों के व्यवहार के कारण मन खिन हो सकता है। खान-पान के कारण स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है। आज व्यावसायिक/आर्थिक मामलों में दुविधा बनी रहेगी।

**वृष**

घर-परिवार में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है। परिवार में आपसी मतभेद हो सकते हैं। आज व्यावसायिक/आर्थिक मामलों में प्रगति होगी।

**मिथुन**

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या एवं व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है।

**कर्क**

व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है। महत्वपूर्ण कार्य योजना बन सकती है। नौकरिपेशा व्यक्तियों को मानसिक तनाव बचना रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

**सिंह**

व्यावसायिक प्रयासों में उचित सोच-विचार हो सकता है। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

**कन्या**

आर्थिक/वित्तीय मामलों में परेशानी एवं धन हानि हो सकती है। घर-गृहस्थी के खर्चों में आवश्यक वृद्धि हो सकती है। मन में असंतोष बना रहेगा।

**तुला**

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि हो सकती है। संभावित खोस से घन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। नौकरिपेशा व्यक्तियों का प्रभाव-प्रभुत्व बढ़ेगा।

**वृश्चिक**

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। अटक हुए कार्य बनें लगेंगे। नवीन कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। शुभ कार्यों में भाग ले सकते हैं।

**धनु**

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन समस्या एवं व्यावसायिक कार्यों में नौकरिपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ रहेगी। व्यावसायिक खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है।

**मकर**

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनेते कार्य विगड़ सकते हैं। यात्रा में परेशानी हो सकती है।

**कुंभ**

घर-परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। धार्मिक-मांगलिक कार्यों सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक सफलता से मनोबल बढ़ेगा।

**मीन**

विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्व-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। अटक हुए कार्य बनें लगेंगे। परिवार में मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

प्रधानाचार्य और अधीक्षक अब नहीं कर सकेंगे प्राइवेट प्रेक्टिस

मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ने लिया निर्णय

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राज्य सरकार ने प्रदेश राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं इससे संबद्ध अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खीवसर की मंजूरी के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, अतिरिक्त प्रधानाचार्य एवं संबद्ध अस्पतालों में अधीक्षकों की नियुक्ति के लिए नियमों में बदलाव करते हुए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा-निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

चिकित्सा मंत्री खीवसर ने कहा है कि मेडिकल कॉलेज एवं इससे संबद्ध अस्पतालों में मरीज भार अत्यधिक होने के साथ ही यहां प्रशासनिक कार्यों की अधिकता रहती है और विशेष परिस्थितियों में कार्य सम्पादन किया जाता है। ऐसे में मेडिकल कॉलेजों में पूर्णकालिक रूप से दक्ष एवं कुशल प्रशासक होना आवश्यक है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने विस्तृत विचार-विमर्श के बाद प्रधानाचार्यों, अतिरिक्त प्रधानाचार्यों एवं अधीक्षकों के चयन एवं नियुक्ति के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं, इस जनहितैषी निर्णय से स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा।

विभागाध्यक्ष एवं यूनिट हैड भी नहीं बन सकेंगे

चिकित्सा शिक्षा सचिव अम्बरीष कुमार ने बताया कि परिपत्र के अनुसार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक तथा संबद्ध अस्पतालों के अधीक्षक प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। वे अपने आचार्य या वरिष्ठ आचार्य जैसे पदीय कर्तव्यों के लिए एक चैथाई से ज्यादा समय नहीं देंगे।

■ **मेडिकल कॉलेज प्रधानाचार्य, अतिरिक्त प्रधानाचार्य एवं अधीक्षकों की नियुक्ति के लिए नई गाइडलाइन जारी**

चयनित प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक को विभागाध्यक्ष या यूनिट हेड बनने की अनुमति नहीं होगी। इसके लिए उन्हें आवेदन पत्र के साथ इस संबंध में घोषणा पत्र भी देना होगा। उन्हें यह भी शपथ पत्र देना होगा कि वे पीएमसी के पद पर पूर्णकालिक रूप से कार्य करेंगे।

समिति करेगी चयन, अधिकतम आयु 57 वर्ष

चिकित्सा शिक्षा सचिव ने बताया कि राजकीय एवं राजमेंस चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक पद के लिए वरिष्ठ आचार्य के पद पर कार्यरत राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की गाइडलाइन के अनुसार पात्र शिक्षक ही आवेदन कर सकेंगे। यदि महाविद्यालय में पात्र चिकित्सक-शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं, तो केंद्र या राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यरत पात्र चिकित्सक भी आवेदन कर सकेंगे। इस पद पर नियुक्ति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से की जाएगी। समिति में कार्मिक विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव तथा राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय या मारवाड़ चिकित्सा महाविद्यालय के कुलपति सदस्य होंगे। इस पद पर आवेदन के लिए अधिकतम आयु सीमा 57 वर्ष निर्धारित की गई है। प्रधानाचार्य के पद हेतु अधीक्षक या

अतिरिक्त प्रधानाचार्य के पद पर 3 वर्ष का कार्य अनुभव एवं विभागाध्यक्ष के पद पर 2 वर्ष का अनुभव आवश्यक होगा।

प्रधानाचार्य का स्थानांतरण भी संभव

परिपत्र के अनुसार समिति द्वारा प्रधानाचार्य पद के लिए 3 चिकित्सा अधिकारियों का पैनेल बनाया जाएगा। सक्षम स्तर से पैनेल के अनुमोदन के उपरंत चयनित अधिकारी को प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित किया जाएगा। राज्य हित में इन चयनित प्रधानाचार्यों को अन्य मेडिकल कॉलेज में भी स्थानांतरित किया जा सकेगा। इनका कार्यकाल प्रथमतः 3 वर्ष का होगा। इनके कार्यकाल में 2 वर्ष की अभिवृद्धि प्रशासनिक विभाग के अनुमोदन उपरांत की जा सकेगी। प्रधानाचार्य द्वारा पद पर कार्य करने में असमर्थता व्यक्त करने या उस पर घृष्टाचार, प्रशासनिक अकुशलता एवं गंभीर आरोप होने पर राज्य सरकार द्वारा संबंधित जिला कलेक्टर, संभागीय आयुक्त या अन्य सक्षम अधिकारी अथवा समिति से जांच कराई जा सकेगी।

वरिष्ठतम आचार्य बनेंगे अधीक्षक

इसी प्रकार अधीक्षकों की नियुक्ति के लिए जारी परिपत्र के अनुसार एकल विंशष्टता युक्त शैक्षणिक चिकित्सालयों में संबंधित राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय या मारवाड़ चिकित्सा महाविद्यालय के कुलपति सदस्य होंगे। इस पद पर आवेदन के लिए अधिकतम आयु सीमा 57 वर्ष निर्धारित की गई है। प्रधानाचार्य के पद हेतु अधीक्षक या

इसी प्रकार अधीक्षकों की नियुक्ति के लिए जारी परिपत्र के अनुसार एकल विंशष्टता युक्त शैक्षणिक चिकित्सालयों में संबंधित राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय या मारवाड़ चिकित्सा महाविद्यालय के कुलपति सदस्य होंगे। इस पद पर आवेदन के लिए अधिकतम आयु सीमा 57 वर्ष निर्धारित की गई है। प्रधानाचार्य के पद हेतु अधीक्षक या

ऋण वसूली अधिकरण ने लगाई लोक अदालत

जयपुर। सर्वोच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार 14 नवम्बर को ऋण वसूली अधिकरणों में लंबित मुकदमों के निपटान के लिए विशेष लोक अदालतों का आयोजन किया गया। जयपुर स्थित ऋण वसूली अधिकरण के लालकाली शांतिप सेन्टर, टॉक रोड, जयपुर स्थित कार्यालय में भी विशेष लोक अदालत आयोजित हुई।

इस लोक अदालत को सफल बनाये जाने के लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा भी सभी बैंकों के चैयरमैन, प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निर्देशित किया है कि वे सभी इस लोक अदालत में सक्रिय योगदान प्रदान करें एवं अधिकतम प्रकरणों के निस्तारण हेतु अपने अधिनस्थ सभी अधिकारियों को भी सक्षमताक सहयोग हेतु निर्देशित करें ।अधिकरण के पीठसीन अधिकारी विपल गुप्ता द्वारा सभी बैंकों के महाप्रबन्धक व उच्चाधिकारियों के साथ बैठक भी आयोजित की। जिसमें सभी बैंक अधिकारियों द्वारा इस लोक अदालत में अधिकतम प्रकरणों के निस्तारण कर लोक धन की वसूली के लिए अधिकतम प्रयास किये जाने का आश्वासनदियागया है।लोक अदालत के लिए डीआरटी बार एसोसिएशन के पदाधिकारी एवं सदस्यों द्वारा भी कोशिशें की जा रही है।

सांसद मंजू शर्मा ने कहा कि

सरकार की ओर से महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना, हर घर नल अभी चल रही है जिसके माध्यम से उन्हें आत्मनिर्भर बनने में सहयोग मिल रहा है।

महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री जयश्री गर्ग, भाजपा प्रदेश मंत्री स्टेपी चौहान, जयपुर शहर के सच प्रभारी नरेश बंसल, तथा भाजपा प्रदेश मंत्री अजीत मांडन ने भी शिरकत की।

■ **भागवत ने कहा कि “सहकार, कृषि और उद्योग हमारे विकास के आधार स्तंभ हैं।”**

राज्य के आधार पुर। पुराने समय में जब राज्य अनेक थे तब भी हम एक देश थे, पराधीन थे तब भी एक देश थे। उन्होंने कहा कि समाज की स्वस्थ अवस्था का नाम समाज का संगठन है। उन्होंने कहा कि सहकार, कृषि और उद्योग हमारे विकास के आधार स्तंभ हैं। कृषि, व्यापार, उद्योग परस्पर साथ आकर परस्पर निर्भर होकर तीनों एक साथ प्रगति करें। छोटे और मध्यम उद्योग अर्थव्यवस्था को विकेंद्रित करते हैं।

इन उद्योगों को अपने देश के अंदर संचारक रूप से चलने का वातावरण देना ये बड़े उद्योगों का काम है। छोटे उद्योगों को रोजगार, कौशल, उत्पादन की गुणवत्ता और उत्पादन बढ़ाना चाहिए। यह करते समय व्यापार और खुशी इन दोनों का ध्यान रखना चाहिए। खुशी आधारित उद्योगों से देश में वास्तविक समृद्धि पैलूंगे।

इससे पूर्व राजस्थान क्षेत्र संघचालक रमेश चंद्र अग्रवाल ने कार्यक्रम की प्रस्तावना रखी। कार्यक्रम का संचालन डॉ. हेमंत सेठिया ने किया।

मनरेगा में फार्म पॉण्ड श्रेणी के अंतर्गत हो सकेगा टांका निर्माण का कार्य

जयपुर (कासं)। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत फार्म पॉण्ड श्रेणी में टांका निर्माण के कार्य किए जा सकेंगे। इस संबंध में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अनुरोध को केन्द्रीय ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वीकार किया है।

मुख्यमंत्री ने गत माह केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री से मुलाकात कर निजी कृषि भूमि पर टांका निर्माण कार्य पूर्व की भांति जारी रखने का आग्रह किया था। श्री शर्मा ने कहा कि रेगिस्तानी जिलों में टांका निर्माण जल सुरक्षा, कृषि विकास और जलवायु अनुकूल

हरमाड़ा हादसे पर उपमुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक

जयपुर । हरमाड़ा में गुरुवार को पुनः भीषण सड़क हादसे को लेकर उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सचिवालय में संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने दुर्घटना की विस्तृत समीक्षा करते हुए भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। दिया कुमारी ने कहा कि यह हादसा अत्यंत दुःखद है और इससे हुई जनहानि की पीड़ा शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। उन्होंने संबंधित विभागों को सड़क सुरक्षा के सुदृढ़ उपायों और आपातकालीन राहत व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता बनी रहे। उन्होंने दुर्घटना में प्रभावित सभी परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और प्रशासन को हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। दिया कुमारी ने कहा कि जनता की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

आवासन आयुक्त डॉ. रश्मि शर्मा ने किया निर्माणाधीन आवासों का औचक निरीक्षण

कुछ आवासों की घटिया नींव देखकर कमिश्नर नाराज हुई, इंजीनियर्स को फटकार लगाते हुए जेसीबी से तुड़वाई नींव

जयपुर (कासं)। आवासन आयुक्त डॉ. रश्मि शर्मा ने गुरुवार को निर्माणाधीन आवासों का औचक निरीक्षण किया। वे इंजीनियर्स को साथ लेकर मौके पर पहुंची और जेसीबीमार्शन बुलाकर मकानों की नींव खुदवाकर जांच की।

ज्ञात रहे कि हाऊसिंग बोर्ड द्वारा जयपुर के महला क्षेत्र में विभिन्न आय वर्गों जैसे कि

■ **जयपुर के महला क्षेत्र में विभिन्न आय वर्गों के लिए 365 स्वतंत्र आवास बनावा रहा है हाऊसिंग बोर्ड**

ईडब्ल्यूएस, एलआईजी एवं एमआईजी के लिए 365 स्वतंत्र आवासों का निर्माण कराया जा रहा है। यह परियोजना राज्य सरकार की बजट वर्ष 2024-25 की घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के तहत संचालित की जा रही है। आवासन आयुक्त

पूर्णकालिक कार्य करने का शपथ पत्र देना होगा। वे अपने पदीय कर्तव्यों पर एक चैथाई से अधिक समय व्यतीत नहीं कर सकेंगे तथा एचओडी एवं यूनिट हैड के साथ ही निजी प्रैक्टिस भी नहीं कर सकेंगे। इनकी नियुक्ति प्रथमतः 3 वर्ष के लिए की जाएगी, जिसे प्रशासनिक विभाग के अनुमोदन से 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा।

अधिकतम 5 अतिरिक्त प्राचार्य बना सकेंगे

वर्तमान में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में अतिरिक्त प्रधानाचार्य के पदों एवं कार्यों के संबंध में एकरूपता नहीं है। इसे देखते हुए अब यह निर्धारित किया गया है कि किसी भी मेडिकल कॉलेज में 5 से अधिक अतिरिक्त प्रधानाचार्य नहीं होंगे। राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में विभिन्न कार्यों के कुशल संचालन हेतु इनके दायित्व भी निर्धारित किए गए हैं।

ये एकेडमिक, रिसर्च एवं फैकल्टी अफेयर्स, स्टूडेंट अफेयर्स, प्रशासन तथा क्लिनिकल एवं हॉस्पिटल सेवाओं से संबंधित दायित्व संभालेंगे। सभी अतिरिक्त प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा इन पदों पर नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर वरिष्ठ आचार्यों में से की जाएगी। इनकी नियुक्ति प्रथमतः 3 वर्षों के लिए की जाएगी। यदि किसी अतिरिक्त प्रधानाचार्य की सेवाएं असंतोषजनक पाई जाती हैं तो उसे समय से पहले भी हटाया जा सकेगा।

तीन साल की सेवा संतोषजनक पूर्ण करने वाले अधिकारी को सक्षम स्वीकृति उपरांत एक-एक वर्ष की अवधि के लिए तीन बार पुनर्नियुक्त किया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विजेताओं को बधाई दी

■ **केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अनुरोध स्वीकार किया**

आजीविका के लिये अत्यन्त उपयोगी, सस्ता और टिकाऊ समाधान है।

केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री को अवगत कराते हुए कहा कि व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए फार्म पॉण्ड का निर्माण महात्मा

रीको कराएगा आकेड़ा डूंगर औद्योगिक क्षेत्र में 9.85 करोड़ रु. के विकास कार्य

जयपुर (कासं)। राज्य सरकार की वर्ष 2025-26 की बजट घोषणा की पालना में रीको के निदेशक मंडल में औद्योगिक क्षेत्र आकेड़ा डूंगर-जयपुर में उद्यमियों की विकास कार्य कराये जाने की लंबी मांग को मानते हुये 985 लाख रुपये के विभिन्न विकास कार्यों के लिये स्वीकृति प्रदान की है। रीको द्वारा पूर्व में इस औद्योगिक क्षेत्र को अतिक्रमण आधार पर निजी विकासकर्ता को आवंटित किया गया था लेकिन विकासकर्ता द्वारा विकास कार्य नहीं कराने के कारण उद्यमियों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। उद्यमियों की समस्याओं के निस्तारण के लिये राज्य सरकार द्वारा पहल कर बजट घोषणा की गयी जिसको रीको द्वारा पूर्ण रूप प्रदान किया जा रहा है। विकास कार्यों के तहत इस लेन में सड़कों का सुधार एवं सुदृढीकरण, सीसी पेवमेंट का निर्माण, पेड्ड शॉल्डर्स का निर्माण, आरसीसी बॉक्स टाइप कल्चर्ट निर्माण, रोड जंक्शंस में यूटिलिटी डक्ट बनाने का कार्य किया जायेगा। इसके साथ

संचालन सुचारू रूप से कर सकें। आकेड़ा डूंगर औद्योगिक क्षेत्र के समग्र विकास एवं रखरखाव के लिए यह प्रस्तावित विकास कार्य इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन विकास कार्यों से आकेड़ा डूंगर औद्योगिक क्षेत्र जयपुर के निकट एक विकसित औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अपनी पहचान बनाएगा और उद्यमियों को भी सुविधा मिल सकेगी जिससे उनकी उत्पादकता बढ़ सकेगी।



ही इस क्षेत्र में एलईडी एवं हाई मास्ट लाइट्स भी लगाई जाएंगी जिसके उपरान्त इस औद्योगिक क्षेत्र की आधारभूत सुविधायें भी अन्य औद्योगिक क्षेत्रों के समकक्ष हो सकेंगी। रीको प्रबंध निदेशक शिवांगी स्वर्णकार ने बताया कि रीको का हमेशा से यह प्रयास रहा है कि औद्योगिक क्षेत्रों में अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधायें विकसित की जायें जिससे उद्यमी अपनी औद्योगिक इकाइयों का

संचालन सुचारू रूप से कर सकें। आकेड़ा डूंगर औद्योगिक क्षेत्र के समग्र विकास एवं रखरखाव के लिए यह प्रस्तावित विकास कार्य इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन विकास कार्यों से आकेड़ा डूंगर औद्योगिक क्षेत्र जयपुर के निकट एक विकसित औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अपनी पहचान बनाएगा और उद्यमियों को भी सुविधा मिल सकेगी जिससे उनकी उत्पादकता बढ़ सकेगी।

संचालन सुचारू रूप से कर सकें। आकेड़ा डूंगर औद्योगिक क्षेत्र के समग्र विकास एवं रखरखाव के लिए यह प्रस्तावित विकास कार्य इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन विकास कार्यों से आकेड़ा डूंगर औद्योगिक क्षेत्र जयपुर के निकट एक विकसित औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अपनी पहचान बनाएगा और उद्यमियों को भी सुविधा मिल सकेगी जिससे उनकी उत्पादकता बढ़ सकेगी।

प्रदेश में 3 दिवसीय आंगनबाड़ी ओलंपिक शुरु

जयपुर (कासं)। प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के अंतर्गत बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से गुरुवार को तीन दिवसीय आंगनबाड़ी ओलंपिक खेल-2025 का आगाज हुआ।

निदेशक आईसीडीएस वासुदेव मालावत ने बताया कि प्रदेश के 63 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों पर लगभग 12 लाख बच्चे पंजीकृत हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों की बाल्यावस्था से ही उनमें स्वस्थ खेलकूद प्रतियोगिता और स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आ सके, इसके लिए 13 नवम्बर से 3 दिवसीय आंगनबाड़ी ओलंपिक खेल-2025 का शुभारम्भ हुआ है। इस वर्ष खेलों की थीम “खेल-खेल में सीखें” रखी गई है। जिसमें स्थानीय और पारम्परिक खेलों को भी शामिल किया गया है। निदेशक ने बताया कि आंगनबाड़ी ओलंपिक खेल-2025 में बच्चों के दो समूह बनाकर 3 से 4 और 4 से 6 का समूह बनाकर विभिन्न खेलकूद की गतिविधियां आयोजित की जा रही है।

के प्रति जागरूकता आई है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश की जल संरक्षण और इसके संचयन के क्षेत्र में नई पहचान बन रही है। राज्य सरकार ने प्रदेशभर में वंदे गंगा जल संरक्षण-जन अभियान संचालित कर जल संरक्षण और संचयन के कार्यों को नई दिशा दी है। इसके तहत जलाशयों की मरम्मत, सफाई, जल निकासी व्यवस्था में सुधार, अतिक्रमण हटाना, बांध क्षेत्रों में श्रमदान, पौधारोपण, जल संप्रण और जल संरक्षण संरचनाओं सम्बंधित कार्य किए गए हैं। इसके साथ ही, कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के माध्यम से भूजल रिचार्ज संरचनाओं का निर्माण भी किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के लिए संयुक्त विजेताओं सहित 46 विजेताओं की घोषणा की है। ये पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ जिला, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय, सर्वश्रेष्ठ विद्यालय या महाविद्यालय, सर्वश्रेष्ठ उद्योग, सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ, सर्वश्रेष्ठ संस्थान (विद्यालय या महाविद्यालय के अलावा), सर्वश्रेष्ठ नागरिक समाज और जल क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति सहित 10 श्रेणियों में दिए जाएंगे।

